


68

न्यायालय श्रीमान् सदस्य बोर्ड आफ रेव्यून् शुंखला न्यायालय रीवा (म.प्र.)  
R. 5010-115-सीधी



Rs. 20/-

360  
18.8.15

1. महावती सिंह तनय स्व.कालू सिंह उम्र 74 वर्ष पेशा खेती
  2. यशवंत सिंह तनय राजबली सिंह चौहान उम्र 52 वर्ष पेशा खेती
- दोनो निवासी ग्राम करहिया तहसील गोपदबनास जिला सीधी(म.प्र.)-निगरानीकर्तागण

बनाम

1. बैसलाल सिंह तनय चर्चा सिंह गोड उम्र 65 वर्ष पेशा खेती
  2. श्रीमती प्राणपती सिंह पत्नी स्व.त्रिवेणी सिंह उम्र 65 वर्ष पेशा खेती
- दोनो निवासी ग्राम करहिया तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

—गैरनिगरानीकर्ता

श्री. राजवन्त सिंह उम्र 25 वर्ष  
आरा जिले के निवासी  
प्रस्तुत किया गया  
28-8-15  
/4  
रिडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

द्वितीय पुनरीक्षण विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर  
सीधी जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 461/  
निगरानी / 2011-12 आदेश दिनांक 24.07.2015  
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्न निगरानी प्रस्तुत है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया तथ्य व सहज न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन निर्णय पारित करते समय प्रकरण में उपलब्ध विधिक तथ्यों एवं न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2सीधी के व्यवहारवाद क्रमांक 331/ए/06 आदेश दिनांक 11.03.10 का विधिक विवेचना न कर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तहसील गोपदबनास जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक

र. राजवन्त सिंह

Handwritten mark


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

R-5010-II/15 अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र० R. 5010-II/15

जिला-सीधी

महावली सिंह / बैसलाल सिंह व अन्य

(1)	(2)	(3)
18.07.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol>	 सदस्य